

रेफरेंस/एलआर/152/2013/जयपुर
सरकार बनाम रामेश्वर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री पंकज नरुका, सदस्य</p> <p>उपस्थित:-</p> <p>श्री रामसुख चौधरी उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उप0 नही होने पर एक्सपार्टी की गयी।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय दिनांक: 18-11-2020</p> <p>यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 06.11.2012 प्रकरण संख्या 386/2012 में अभिशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार विराटनगर ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा हाल नम्बर 1012/1,1015 रकबा 0.07,0.20 हैक्टर किस्म चाही-2 वाके मौजा बयावास तहसील विराटनगर जो खतोनी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2027 की साबिक खसरा नम्बर 223 किस्म गैर मुमकिन नदी से बने हैं, अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि गैर मुमकिन नदी/नाला होने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 व डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-08-2004 के विपरीत है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर विवादित नामान्तरकरणों को निरस्त किया जावे तथा विवादित भूमि को पुनः गैर मुमकिन गैर मुमकिन नदी अभिलिखित किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे।</p> <p>3- प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, जो बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी पक्ष की इकतरफा बहस सुन कर प्रकरण को अपने निर्णय दिनांक 18.10.2011 के द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>4- रेफरेंस इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, जो बाबजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। बहस उप राजकीय अभिभाषक की इकतरफा सुनी गयी।</p> <p>5- योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नली, नाले, झीले और तालाब, खाल, शमशान आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरुद्ध है। उक्त कार्यवाही डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-08-2004 के परिप्रेक्ष्य में अविधिक है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर विवादित नामान्तरकरणों को निरस्त किया जावे तथा विवादित भूमि को पुनः गैर मुमकिन नदी अभिलिखित किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे।</p>	

रेफरेंस/एलआर/152/2013/जयपुर
सरकार बनाम रामेश्वर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>6- योग्य अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष के तर्कों पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।</p> <p>7- प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी हाल नम्बर 1012/1, 1015 रकबा 0.07, 0.20 हैक्टर किस्म चाही-2 वाके मौजा बयावास तहसील विराटनगर जो खतोनी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2027 की साबिक खसरा नम्बर 223 किस्म गैर मुमकिन नदी से बने हैं, अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी गैर मुमकिन नदी/नाला होने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 व डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-08-2004 के विपरीत है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर विवादित नामान्तरकरणों को निरस्त किया जाकर विवादित भूमि को पुनः गैर मुमकिन नदी/नाला अभिलिखित किए जाने के आदेश प्रदान करना उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>8- फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर, आराजी खसरा हाल नम्बर 1012/1,1015 रकबा 0.07,0.20 हैक्टर किस्म चाही-2 वाके मौजा बयावास तहसील विराटनगर जो खतोनी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2027 की साबिक खसरा नम्बर 223 किस्म गैर मुमकिन नदी से बने हैं, अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी/नाला है। विवादित आराजी का विधि विरुद्ध जाकर अप्रार्थीगण को उक्त गैर मुमकिन नदी/नाला की भूमि का आवंटन किया गया है , विवादित आराजी हाल अप्रार्थीगण की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ,जिसे अप्रार्थीगण के नाम से हटाई जाकर पुनः राजकीय खाते में सिवायचक गैर मुमकिन नदी/नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं एवं विवादित आराजी बावत खोले गये नामा0 तथा नामा0 के आधार पर राजस्व अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राजों को निरस्त किया जाता है।</p> <p>9- आदेश की सूचना योग्य अधिवक्ता को दी जावे । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।</p> <p>10- पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(पंकज नरुका) सदस्य</p>	

रेफरेंस/एलआर/152/2013/जयपुर
सरकार बनाम रामेश्वर